न्यायालयः प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश–सह विशेष न्यायाधीश, अररिया।

अग्रिम जमानत आवेदन पत्र संख्या– 17/2026
पलासी थाना कांड संख्या– 309/2025

मीर उस्ताजीर उर्फ मीर उस्तादीर उर्फ मो0 उस्ताद एवं 02.....आवेदकगण

बनाम

राज्य सरकार

आदेश

12-03-2026 आवेदकगण/अभियुक्तगण 1.मीर उस्ताजीर उर्फ मीर उस्तादीर उर्फ मो0 उस्ताद, 2.मीर इस्ताजीर उर्फ मो0 इस्तादीर एवं 3.नूर आलम की ओर से अपनी गिरफ्तारी की आशंका के आधार पर बी0एन0एस0एस0 की धारा 482 के अन्तर्गत दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन, जो पलासी थाना कांड संख्या– 309/2025, अंतर्गत धारा–191(2), 191(3), 190, 126(2), 115(2), 103, 352, 351(2)(3) भा0न्या0सं0 से संबंधित है, को आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचालित किया गया।

अग्रिम जमानत आवेदन पर आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता श्री राज कुमार पासवान एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री राजानंद पासवान को सुना।

संक्षेप में अभियोजन वाद सूचिका बीबी नाजीस के अनुसार यह है कि दिनांक 02.08 2025 को समय लगभग 21 बजे मेरे पिता इबादूल हक अपने दुकान पर थे, तभी उसके पड़ोसी प्राथमिकी के नामित अभियुक्तगण गाली देते हुए उसके पिता को बोले कि तुम अपना जलेबी का पेड़ काटकर हटाओ, नहीं तो जान से मार देंगे। क्योंकि पेड़ के कारण हमलोगों को घर बनाने में दिक्कत हो रही है। सूचिका के पिता बोले कि बरसात खत्म हो जायेगा तो हम हटवा देंगे, इतने पर अभियुक्तगण गाली–गलौज करते हुए दुकान में घुसकर मारपीट करने लगा। सूचिका और उसके भाई–बहन अपने पिता को बचाने गये, तो उसके साथ भी मारपीट किये। पुनः आज समय लगभग 05 बजे संध्या में अभियुक्तगण मजमा बनाकर आये तथा बोले कि तुमको कल से कह रहे है, तुम नहीं सुन रहे हो, आज तुमको जान से ही मार देंगे तथा आते ही मीर मुर्शिद एवं मीर सरवर लोहे के रड से उसके पिता के उपर वार कर दिये जिससे उसके पिता के पीठ एवं गर्दन पर लगा तथा वह बेहोश होकर गिर गया। अन्य सभी भी लात मुक्का से मारपीट कर रहे थे। अगल बगल के लोग आये तथा बीच बचाव किए तब सूचिका अपने पिता को बेहोशी की हालत में इलाज हेतु पलासी अस्पताल लेकर गया, जहां डॉक्टरों के द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। सूचिका का दावा है कि मीर मुर्शिद एवं मीर सरबर द्वारा लोहे के रड से गर्दन पर मारने तथा अन्य द्वारा लाठी डंडा से मारपीट करने के कारण जख्मी होने से मृत्यु हो गई है।

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदकगण निर्दोष है और कोई घटना कारित नहीं किया है। आवेदकगण के द्वारा इस जमानत आवेदन के अलावे अन्य कोई भी जमानत आवेदन न तो इस न्यायालय में और न ही माननीय उच्च न्यायालय पटना में दाखिल किया गया है। आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदकगण को गलत तरीके से इस वाद में फंसाया गया है। अभियोजन की कहानी बिल्कुल गलत एवं मनगढ़ंत है। आवेदकगण का धन हड़पने के उद्देश्य से झूठा फंसाया गया है। सूचिका एवं अभियुक्त दोनों एक–दूसरे का पड़ोसी है। कथित घटना का कोई साक्ष्य नहीं है। आवेदकगण के विरूद्ध कोई विशिष्ट आरोप नहीं है। उपरोक्त कथनों के साथ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदकगण को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान करने की प्रार्थना किया है।

विद्वान अपर लोक अभियोजक अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते है।

दोनों पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया, अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदकगण प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त है एवं प्रत्यक्ष रूप से आरोप है कि इसने अन्य सह–अभियुक्त के साथ मिलकर मृतक की हत्या रॉड से मारकर कर दी थी। साक्षियों ने घ ाटना का समर्थन किया है। मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट में भी लोहे के रॉड से गर्दन पर मारने से मृत्यु होने की बात कही गयी है तथा अन्त्य परीक्षण रिपोर्ट में भी मृतक को गर्दन के अलावा शरीर के अन्य अंगों पर चोट पायी गयी है। अतः प्रत्यक्ष आरोप एवं अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए आवेदकगण का अग्रिम जमानत आवेदन **अस्वीकृत** किया जाता है।

(लेखापित)

Sd/-
(मनोज कुमार तिवारी)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
सह विशेष न्यायाधीश, अररिया।